इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 2013—कार्तिक 21, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2013

क्र. एफ 13-1-2013-बाईस-पं. 2.—मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारुप के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारुप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (1) के, खण्ड (क) में, शब्द "भूमि विकास तथा संरक्षण" के स्थान पर, शब्द "भूमि विकास तथा संरक्षण, जैव विविधता का प्रोत्साहन, संरक्षण, अविरत उपयोग, दस्तावेजीकरण और उनका मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड की तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के अनुसार प्रबंधन" स्थापित किए जाएं.

No. F 13-1-2013-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Term of Office of Members of Standing Committee and Procedure for the Conduct of Bussiness) Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (3) of Section 46 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam,1993 (No. 1 of 1994) is hereby published, as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of its publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be recevied from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "land development and protection", the words "land development and protection, promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity and management thereof according to the technical support and guidance of the Madhya Pradesh Biodiversity Management Board" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.